Court of SKB - Judge, Khordha, Pur

Chaitanya Kumar & others
Vs
Pramila Mangal & others

T.S. 251/2000

17.06.19

वादी अनुपस्थित है। प्रतिवादी की ओर से एक वकील हाजिर है। वादी को वाद में उपस्थित होने तक स्थगन उपस्थित होने हेतु पूर्व में निर्देश दिया गया था। दिं 04.02.19 तक 06.02.19 को एकतरफा। वादी की ओर से स्वयं वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। वादी को उपस्थित हो कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। वाद का कार्यवाही चलाना है। अतः पैरवी के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

खारिज

(सरकार)

अ.सि.

C.S. 268
C.C. of plaint 29.4.19
C.C. of dismissal order dt 17.6.19
Filed 28.6.19

No pairvee from plaintiffs earlier also he was directed to take interest in the suit. That time on 4.2.19 & 6.2.19 on call no one/adv. turn up before the Court. This case is of 2000. Suit is thus dismissed for default/No pairvee
17.06.19